REFERENCE TO HARYANA UTTAR PRADESH BOUNDARY DISPUTES

श्री सुब्रमण्यन स्वामी (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मै आप का ध्यान एक बहुत गम्भीर और चिन्ताजनक सीमा-विवाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह चीन और भारत के सीमा विवाद के सम्बन्ध मे नही है, यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा-विवाद के बारे में है। आप जानते हैं कि इन दोनों राज्यो के बीच की सीमा यमुना रिवर से तय होती है। किनारे पर कुछ गांव हैं। जब नदी अपनी दिशा बदलती है तो ये गांव कभी इस तरफ आ जाते है, कभी उस तरफ चले जाते है। हरियाणा की घुड़सवार सशस्त्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर हमला किया है और कई लोग गोली से मारे गए हैं।

अब हरियाणा की पुलिस ने उत्तर प्रदेश को धमकी दी है कि यदि उन किसानो को वापस न लिया गया तो गम्भीर परिणाम भुगतने होगें। अब मैं समझता हूं कि यह स्थिति और गंभीर हो गयी है क्योकि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी श्री अजीत कुमार दास ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि यदि इस प्रकार की स्थिति जारी रही तो तुरन्त पी०ए०सी० को भी वहां डिप्लाय करना चाहिए और मुझे जो सूचना मिली है वह यह है कि वहा पी०ए०सी० पहुच गयी है और दोनो तरफ गोलियां चलने वाली हैं। यह भारत है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सदस्य दूसरी दूसरी चीजों मे व्यस्त हैं इसलिए उनको इस तरफ ध्यान देना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने श्री उमाशंकर दीक्षित पर मामला छोड़ा था कि वह इसका समाधान कर दें लेकिन आज तक उसका समाधान नही हो पाया है क्योकि श्री उमाशंकर दीक्षित दूसरे कामो मे काफी व्यस्त हैं और जब भी उन को फ़ुरसत मिलती है तो मुझको वह यह सलाह देने आ जाते हैं कि सदन मे मुझे कैसे बोलना चाहिए या कैसे नही बोलना चाहिए, लेकिन वहां जो किसान त्रस्त है, जो लोग मर रहे हैं उनके समाधान के लिए कुछ नही हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार इसका समाधान शीघ्र ढूंढे और मैं समझता हू कि यदि यमुना रिवर को एक फ्लोटिंग बार्डर मान लिया जाये तो इससे सारा मामला हल किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Gokhale.

DEMAND FOR STATEMENT ON RAILWAY STRIKE

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Sir....,

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): I would like to know....

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): रेलवे के बारे में.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I would like to know....

श्री राजनारायण: श्रीमन् मैं, रेलवे के बारे में पूछ रहा हूं...

श्री सभापति: राजनारायण जी, आप बैठिए।

श्री राजनारायण: हम काहे बैठें? क्या कारण है कि आप ने भूपेश जी को पहले बुलाया। हम पहले खड़े थे। क्या सिर्फ इसलिए कि वह अंग्रेजी मे बोलते हैं और मैं हिन्दी में बोलता हू?

SHRI BHUPESH GUPTA: Why is he always bringing in the question of English and Hindi to provoke linguistic trouble here? I do not think he should do it. You speak Hindi very well. I cannot speak. I do not think the Chairman is partial to English.

श्री राजनारायण आप बंगला मे बोल सकते हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA: Now, Sir, we want to know when the Railway Minister would make a statement. We are getting reports. For example, just now I have got a report that Shrimati Parvati Krishnan, a member of the other House, has been arrested along with Mr. B.D. Joshi and other leaders. Arrests are taking place here in Delhi....

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, let me ask the Government what they have to say.

श्री राजनारायण: श्रीमन्, 11 बजे किशनगंज से मेरे पास टेलीफोन आया। वहां 35 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए। (*Interruptions*) वहां लोगो को परेशान किया जा रहा है उनकी घड़िया छीन ली गयी और जब घर मन्त्री श्री दीक्षित और मिर्धा जी को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा कि खबर पता करके देगें।

MR. CHAIRMAN: No, I have not permitted this.

श्री राजनारायण: हम ने उनको जब टेलीफोन पर कहा तो उन्होंने कहा कि जानकारी कर के हम आप को खबर देंगें लेकिन हम को कोई खबर अभी तक नही मिली है। मैं आप के द्वारा जानना चाहता हू कि कल जो रेलवे कालोनी मे वहां के कर्मचारियो और उनके परिवारों के साथ इतनी जबरदस्ती की गयी है...

MR. CHAIRMAN: I am not permitting this. Please sit down.

श्री राजनारायण: जो उनके साथ इतनी सख्ती की गयी है, उनके पाइप काट दिए गए, उनकी बिजली काट दी गई, उनकी घड़ियों को छीन लिया गया, इसके बारे में

[श्री राजनारायण]

सरकार को क्या कहना है। रेलवे मजदूरों के साथ आज जुल्म हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस बारे में सरकार हमें बताये कि वास्तविक स्थिति क्या है।

MR. CHAIRMAN: I want to know from the Government whether the Minister will make a statement.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Sir, we are trying. I hope before the House adjourns, the Railway Minister might make a statement.

SHRI BHUPESH GUPTA: What "might make a statement?" No "might make a statement".

श्री लाल आडवानी (दिल्ली): सभापति जी, मैं आप का ध्यान दिलाऊंगा कि पिछली बार जो यह काल अटेंशन मोशन था.....

SHRI N.G. GORAY (Maharashtra): Sir, this is the most important issue in the country to-day, and before we adjourn, the Railway Minister should make a statement.

SHRI OM MEHTA: Sir, I have heard the suggestion.

SHRI NIREN GHOSH: They must make a statement...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Let me say something. Now, I expect that the Minister may make a statement before the House rises after these items are over, and at that time, I will permit hon. Members to put questions to him.

श्री लाल आडवानी : मुझे एक निवेदन करना है आप के माध्यम से अपने ससदीय मन्त्री जी से कि रेलवे मन्त्री जी वक्तव्य देंगे तो केवल रेलवे की गतिविधि के बारे में नहीं, बल्कि रेलवे की हड़ताल के साथ साथ इन सारे मामलों की जानकारी लेकर के आयें जैसे कि श्रीमती पार्वती कृष्णन् की गिरफ्तारी है, या श्री हुकम चन्द कछवाय की गिरफ्तारी की बात है, तो मेरा निवेदन है कि अगर उस समय रेलवे मन्त्री कहेंगे कि यह मामला गृह मन्त्रालय का है, हमारी जानकारी में नहीं है तो वह उचित नहीं होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रेलवे स्ट्राइक से सम्बन्धित जितनी घटनाएं हैं उनके बारे में वह बतलाये। कल श्री हुकम चन्द कछवाय को गिरफ्तार किया गया, आज कृष्णन् को गिरफ्तार किया गया है और मुझे आशा है कि आज संसद के समाप्त होने के बाद सब के खिलाफ कार्यवाही होगी।

SHRI NIREN GHOSH: I want to submit to you that every day we hear that the P.A.C. is seized of the matter.

MR. CHAIRMAN: I have said that he might make statement.

SHRI NIREN GHOSH: We want a competent authority to make a statement.

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI NIREN GHOSH: On a point of order, Sir. When the Cabinet Committee is seized of the matter, why should not someone from that Committee place the statement before the House?

MR. CHAIRMAN: This is no point of order. I overrule it.

SHRI NIREN GHOSH: I have another point of order. Is it in order that when the Prime Minister went to another country, she met Mr. Kissinger and no statement is made? This is the last day of Parliament. The Americans are responsible for the Government's tackling of the railway strike.

MR. CHAIRMAN: Mr. Niren Ghosh, you please sit down.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर...

श्री सभापति : कुछ काम करने देंगे।

श्री राजनारायण : काम हम बहुत करने दे रहे हैं। आप हम को सुनिए। दूसरे लोगों को आप अच्छी तरह से सुनते है।

श्री सभापति : आप गलत कह रहे हैं मैं सब को सुनता हूं।

श्री राजनारायण : मैं अपनी मातृभाषा में बोलता हूं पता नहीं आप को समझ में आता है या नहीं।

श्री सभापति : आप गलत कह रहे हैं : मैं सब भाषाओं को सुनता हूं। मैं हिन्दी को भी समझता हूं।

श्री राजनारायण : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस सदन का सदस्य हूं और मुझे सरकार ने दो महीने के लिए निकाला है बिहार से ..

श्री सभापति : यह न लिखा जाय।

(Shri Rajnarain continued speaking)

श्री रबी राय (उड़ीसा) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जिस दिन 22 तारीख को राज्य सभा शुरू हुई थी उस दिन मैंने इस सवाल को उठाया था कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री राजनारायण के लिए बिहार न जाने के लिए क्यों आर्डर निकाला गया। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातन्त्र की निशानी है कि एक माननीय सदस्य को बिहार

न जाने के लिए इस तरह का आदेश दिया जाए। यह उनकी आजादी पर कुठाराघात है।

श्री सभापति : यह कोई आदेश नही है।

श्री रबी राय : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गृह मन्त्री से एक बयान दिलवाएं कि राजनारायण जी को बाहर जाने की इजाजत है....

(Interruption)

श्री सभापति : आडवाणी जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री लाल आडवाणी : सभापति जी, मै विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हू कि इन्होने पूछा था मेरे से कि क्या मैं यह सवाल उठा दू तो मैंने इनसे पूछा कि आपने अनुमति ली? इन्होने कहा अनुमति तो नही दी गई। मेरा निवेदन है कि यह मसला कोई साधारण नहीं है। यह ठीक है कि सरकार उसको जस्टिफाई कर सकती है कि हमने क्यों मना किया लेकिन मै समझता हू कि एक सदन के सदस्य पर इस प्रकार पाबन्दी लगे और यह कहा जाए कि उस प्रदेश मे नही जाए यह बहुत गलत है।

(Interruption)

श्री सभापति : यह नही कहा गया।

श्री लाल आडवाणी : यह इनको कहा गया कि दो महीने तक बिहार नही जा सकते। यह गलत बात है।

MR. CHAIRMAN: We have discussed Bihar. No order has been passed by the Central Government.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्रधान मन्त्री ने अपने 2 सलाहकारो को गफ़ूर मन्त्रिमण्डल को सलाह देने के लिए पटना मे भेजा है। 3 दिन पहले कहा गया कि आप आओ। अब हमे बताया गया है कि हमें 15 तारीख तक आने देने के लिए गफ़ूर तैयार नही हैं क्योंकि केन्द्र की सरकार ने 2 सलाहकारो को भेजा है। इन सलाहकारो ने कहा है कि अभी राजनारायण को परमिशन मत दो। मैं कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री साहिबा आए, प्रधान मन्त्री साहिबा इसका जवाब दे क्या मै इस देश का रहने वाला नही हू? बिहार मे मेरी रिश्तेदारियां है, बिहार हमारा क्षेत्र है। हमें वहा जाने से रोक कर क्या बिहार के गुण्डों और बदमाशो को दौड़ाना चाहते हैं। बिहार मे विधान सभा भंग होगी---होगी, होगी। गफ़ूर मन्त्रिमण्डल जायेगा।

MR. CHAIRMAN: Law Minister.

श्री श्याम लाल यादव (उत्तर प्रदेश) : प्वाइन्ट आफ आर्डर। मेरा भी आप से इस सम्बन्ध मे निवेदन है। क्या भारत सरकार ने उन पर प्रतिबन्ध लगाया है? मै हाल ही मे, अभी 3 दिन पहले, गृह मन्त्री से मिला क्योंकि श्री राजा नारायण .

श्री सभापति : मै नही आप को परमिशन दूंगा। No. please.

श्री श्याम लाल यादव : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

MR. CHAIRMAN : What is your point of order?

श्री श्याम लाल यादव : उन्होने फोन किया कि आप आइए ...

MR. CHAIRMAN : No, please. I do not allow this.

श्री श्याम लाल यादव : मै गृह मन्त्री जी, दीक्षित जी से मिला....

MR. CHAIRMAN: Nothing will be taken down.

(*Shri Shyam Lal Yadav continued speaking*).

श्री सभापति : श्याम लाल जी, आपकी बात सुन ली, अब आप बैठ जाइए।

श्री श्याम लाल यादव : इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गृह मन्त्री से कहिए इस पर बयान दे और स्थिति को स्पष्ट करे।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस मामले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैने इजाजत नही दी है। आप रूल्स के खिलाफ कर रहे है कि बिना इजाजत कह रहे हैं।

श्री महावीर त्यागी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो मेम्बरो के मौलिक अधिकार है, यदि उनमे कोई दिक्कत पड़ती है, तो आप से प्रोटेक्शन मागा जा सकता है। मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बरो को हिन्दुस्तान भर में पोलिटिकल काम के लिए या और काम के लिए आजादी है, और उनका यह अधिकार है। ऐसी हालत में सरकार उसमें कोई रुकावट डालती है तो मेम्बरो के पास सिवाए इसके कोई चारा नही है कि वे आप की मार्फत यह चाहे...

श्री सभापति : अब मैने सुन ली बात आपकी।

श्री राजनारायण : कहां सुन ली?

DR. K. MATHEW KURIAN (Kerala): On a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point of order?

DR. K. MATHEW KURIAN : I am no going to use the facility of raising points of order for nothing. A Member of this House, Shri Niren Ghosh, was beaten up by the Police earlier and a submission was made that this should go to the Privileges Committee. Today is the last day of the session. Before you take up the next item in the Agenda, you should give a ruling on this. What has happened to the privilege motion? Why is it that no decision has been taken?

MR. CHAIRMAN: He was intimated in the last session that no action was being taken on it.

श्री राजनारायण : एक सदस्य मांगें उसका स्टेटमेंट और सरकार न दे—सरकार को बताना चाहिए।

SHRI NIREN GHOSH : You assured this House that the information would be passed on to the Ministry and they will call for explanation from the West Bengal Government and place it before the House. In the other House such questions are referred to the Privileges Committee..

(Interruptions)

Sir, the point is this: You assured this House like this : "I am not sending it to the Privileges Committee, but I am passing it on to the Home Ministry and they should make an inquiry and make a submission before this House."

I am saying this because without there being any reason and without asking me to disclose my identity, the police assaulted me....*(Interruptions)*.

SHRI LAL K. ADVANI : Sir..

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Advani.

SHRI NIREN GHOSH: If a Member is assaulted like this, what can we say?

MR. CHAIRMAN: If you had informed me in my Chamber, I might have asked the Minister if I had been satisfied that the Minister should have been asked. But, to raise a question here for the first time, without my permission in relation to a matter which happened in the last Session, when I did not give consent to raise the question, as to why I did not ask or why the Minister did not make a statement, to ask a question without my permission—I entirely disapprove.

SHRI NIREN GHOSH : You see the proceedings. You had asked the Home Ministry to inquire and find out. Now you are contradicting yourself. Kindly read the records.

DR. K. MATHEW KURIAN: Sir, on a point of order.

SHRI MONORANJAN ROY (West Bengal): Sir, on a point of order.

MR. CHAIRMAN: You do not want to allow the proceedings to go?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, I want to ask you one thing.

MR. CHAIRMAN: Will you allow the proceedings to go?

SHRI LOKANATH MISRA: I am only helping in the proceedings being proceeded with. Sir, please understand the situation. I will not take more than two minutes of your time.

Sir, you are the custodian of this House and, therefore, you are supposed to be the custodian of the Members also. Now, if anything happens to any Member anywhere and it is brought to your notice, as it was done in the case of Shri Niren Ghosh, who was beaten up by the police, you must take special care to see what has happened, whether the Member was at fault and whether, the action taken against him is justified or not. If you cannot give that protection to us, then it is useless remaining as Members either of the Rajya Sabha or the Lok Sabha.

Now, in the other case, so far as Mr. Rajnarain is concerned, I do not want to go to his protection....*(Interruptions)*.... I do not want to go to his protection. But the point is this: If he has really been served with a notice not to enter Bihar for two months, thus externing him, the Minister should come out with the justification for such an externment order. Without such a thing, if they try to conceal these things from the Members of the Opposition and from the Members of the House, it does not look good and it does not look dignified. Therefore, I appeal to you, Sir, that you as the custodian of the privileges of the Members of the House should kindly enforce on the Government that these should be declared on the floor of the House so that the Members are kept informed about what action the Government intends to take against individual Members, if any. Thank you, Sir.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक सूचना आप को देना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN: No, please. I have called the Law Minister. Please sit down. Yes, Mr. Minister.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अब प्रश्न यह उठता है कि श्री नीरेन घोष के बारे में...

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Please sit down; I am standing.

Now, so far as Mr. Niren Ghosh's matter is concerned, it was raised during the last Session. He was arrested and whatever action was taken against him was in connection with some criminal matter....

SHRI NIREN GHOSH: What criminal matter? ....*(Interruptions)*.

SHRI MONORANJAN ROY: What is that criminal matter?..*(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: I am sorry, Mr. Gokhale. Please wait.

Now, it was in the last Session and not during this Session that this matter was raised. Mr. Niren Ghosh was informed that no action was being taken by me because it was not a matter connected with the privileges of this House. Now, this was in the last Session.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, अब प्रश्न उठता है कि श्री नीरेन घोष के सम्बन्ध मे आपने यह व्यवस्था दी थी कि हम इस मामले को गृह मन्त्रालय को देते हैं और फिर वह जो जवाब देगे उसको सदन मे रखा जायेग ।

श्री सभापति: नो, नो ।

श्री श्यामलाल यादव : अगर सदन में एक बात होती है....

MR. CHAIRMAN: No, please, I did not say this.

श्री श्याम लाल यादव : श्रीमन्, मैं यह बात सदन मे कहना चाहत हूं कि चूकि यह मामला मेम्बर के प्रिविलिज से सम्बन्ध रखता है..

श्री सभापति। आप का कहना गलत है ।

श्री श्यामलाल यादव : श्रीमन्, जब आपने घोषणा कर दी तो फिर मेम्बर को सुरक्षा मिलनी चाहिए ।

12 NOON

श्री सभापति: मैने यह कहा था कि प्रिविलिज नही होता, मैं होम मिनिस्ट्री को आपके पेपर्स भेज देता हूं । सिर्फ यह कहा था । यह कभी नही कहा था कि हाउस मे रखेगे । आज मुझसे वहा आकर कहते या सेशन के शुरू होने के समय कहते ।

SHRI NIREN GHOSH: I thought it was your duty to take up the matter..*(Interruptions)*

SHRI MONORANJAN ROY: If you do not, who else will give protection?..*(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Monoranjan Roy. Don's disturb the proceedings of the House...

SHRI MONORANJAN ROY: We shall sit. But we want to know..

MR. CHAIRMAN: You are disturbing the proceedings of the House, Mr. Monoranjan Roy.. .*(Interruptions)*.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा आप से विनम्र निवेदन है । आप कृपा करके इस सदन की *(Interruption)* जब आप यह कहते हैं कि मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया तो क्या.....

SHRI S. P. GOSWAMI (Assam): Sir, on a point of order.....*(Interruptions)*.

श्री राजनारायण : आप की पर्सनैलिटी अनलिमिटेड नही है, आप सदन के नियम के मुताबिक चलेगे । यदि आप की व्यवस्था सदन के नियमों का उल्लंघन करती है तो आपकी व्यवस्था को मानने के लिए हम मजबूर नही है ।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइए ।

श्री राजनारायण: You are a man of limited personality. You don't have unlimited personality.

श्री सभापति: अब आप काम चलने दीजिए ।

श्री लाल अडवाणी : मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी खड़ी हुई है नीरेन घोष के मामल मे । मेरा निवेदन यह है कि आप इस चीज को सचिवालय से दिखवा ले । उनका इम्प्रेशन यह है कि सदन मे जो हुआ और जो कहा गया उससे उनको ऐसा आभास हुआ कि आप के द्वारा वह सदन मे रखा जायेगा । आप को स्मरण है कि ऐसा नही हुआ और आप ने केवल गृह मन्त्रालय को कहा था । मै निवेदन करूगा कि सचिवालय अभी भी देख ले कि वास्तव मे क्या हुआ था और उसके अनुसार कार्यवाही की जाये । उनका इम्प्रेशन है कि आप की ओर से 'सो-मोटो' यह चीज आनी चाहिए थी और इसी आधार पर उन्होंने उठाया है ।

श्री सभापति: वह गलत है :

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : Sir, this is a matter....*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: No, please. Sit down. I request you to sit down now..*(Interruptions)*

THE CONSTITUTION (THIRTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 1974—*contd.*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. GOKHALE): With your permission, Mr. Chairman, I resume my reply by repeating again that I am thankful to hon. Members on both sides..

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): कोई फेवरबिल नही है ।